दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, शुक्रवार 28 जून 2019
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कापू अन्तर्गत रहने वाले वाली 19 वर्षीय युवती ने प्रदीप कुमार पिता शैलेन्द्र कुमार निवासी रायपुर के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर दिनांक 17-18/10/2018 को डोंगरगढ घुमाने ले जाने के बहाने रायगढ़ के लॉज में रखकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है। पीडित युवती ने बताया कि वर्ष 2018 में प्रदीप से जान पहचान हुआ था। प्रदीप ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर तुम्हारे जाति का हू, रायपुर में रहता हूं शादी करूंगा बोला। युवती अपने मां को बतायी तो उसकी मां ने प्रदीप को घर बुला। तब प्रदीप भी युवती के घर में जाति समाज का हूं पढाई के बाद शादी करूंगा बोला। दिनांक 17.10.18 को प्रदीप ने युवती को फोन कर डोंगरगढ घूमने जाने के बहाने रायगढ़ बुलाया और डोंगरगढ न जाकर रायगढ़ के लॉज में रखकर दो दिनों तक युवती के साथ संबंध बनाया। उसके बाद कुछ दिनों बाद प्रदीप युवती को विडियो कॉलकर अश्लील बातें करता था, युवती ने मना किया तो उसके साथ गाली गलौच कर उसका नम्बर ब्लॉक कर दिया है। युवती ने प्रदीप के विरूद्ध कार्यवाही के लिये आज दिनांक 26.06.19 को थाना कोतवाली में आवेदन दिया गया है। आवेदन पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 477/19 धारा 376 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

बालिका को भगाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना भूपदेवपुर में दिनांक 10.06.19 को 16 वर्षीय बालिका दिनांक 04.06.19 के शाम करीब 18/30 बजे घर में बिना बताये कहीं चले जाने की रिपोर्ट बालिका के पिता द्वारा द्वारा थाना भूपदेवपुर में दर्ज कराया गया था। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 105/19 धारा 363 ता0हि0 अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। अपहृता के पतासाजी के दौरान ग्राम तौलीपाली थाना करतला जिला कोरबा में अपहृता के होने की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक उत्तम साहू के हमराह प्र0आर0 मोतीलाल डनसेना, आरक्षक जुबराज राठिया पीडिता के परिजन को लेकर ग्राम तौलीपाली गये। जहां ग्राम तौलीपाली में रहने वाले करण झरिया पिता दिलेश झरिया उम्र 19 वर्ष के घर से बालिका को बरामद किया गया है। मामले में आरोपी द्वारा बालिका को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित करना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 366क,376 भादवि एवं 4,6 पोस्को एक्ट जोडी गई है।

डेंगू की रोकथाम के संबंध में कार्यशाला आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के दिशा निर्देशन में शहरी क्षेत्र में डेंगू के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आयुक्त नगर निगम से समन्वय कर शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षदों के लिए एक डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सभापति सलीम नियारिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केसरी एवं आयुक्त रमेश जायसवाल की उपस्थिति में जिला मलेरिया अधिकारी डॉ टी.जी. कुलवेदी ने बताया कि डेंगू बुखार एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू का मादा मच्छर (इंफेक्टेड मच्छर) जब वायरस से ग्रसित रहता है और जब स्वस्थ व्यक्ति को दिन के समय काटकर स्वस्थ व्यक्ति को वायरस से ग्रसित कर देता है और इस प्रकार पीडित व्यक्ति के शरीर पर 8-10 दिन में लक्षण दिखना प्रारंभ हो जाता है। डेंगू वायरस (डेंगू फिवर) के लक्षण में मुख्य रूप से ठंड लगकर बुखार आना, सिर दर्द होना, हाथ पैर के जोडों में दर्द, आंखों के अन्दर तेज दर्द होना, कमजोरी लगना, गंभीर अवस्था में लाल चकते और मुंह और नाक से खून निकलना इस प्रकार के लक्षणों से ग्रसित व्यक्तियों को तत्काल स्वास्थ्य केन्द्रों में एवं शहरी क्षेत्र में जिला अस्पताल सह् मेडिकल कॉलेज में अपना जांच करवाना चाहिए। डायग्नोसीस हेतु रेपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट से जांच की जाती है जांच उपरांत सकारात्मक आने पर एलाइजा रीडर मशीन से पुष्टिकरण की जाती है। स्वास्थ्य विभाग इसकी पुष्टि करता है कि मरीज जो है डेंगू पाजीटीव है।

डॉ. टी.जी. कुलवेदी ने जानकारी दी कि डेंगू बीमारी में घबराने की जरूरत नहीं है। सामान्य स्थिति में लक्षण के आधार पर मरीज का इलाज किया जाता है जिसमें दर्द निवारक पैरासिटामोल दिया जाता है। मरीज को अधिक से अधिक आराम करने की सलाह दी जाती है। अधिक से अधिक तरल पेय पदार्थ, जूस सेवन करने की जरूरत रहती है और प्लेटलेट संख्या अपने नार्मल स्थिति में आ जाती है। केवल गंभीर अवस्था में मरीजों की उचित देखभाल एवं ईलाज के साथ खून (प्लेटलेट) की आवश्यकता पडती है। स्वास्थ्य विभाग लार्वी साइड टेमीफॉस लिक्विड नगर निगम को प्रदाय कर रहा है जिसके उपयोग से अधिक से अधिक डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा सकता है और घर-घर जाकर दस्तक देने हेतु माइक्रोप्लान तैयार किया जा रहा है। जनसामान्य को डेंगू बीमारी के संबंध में जागरूक होने की आवश्यकता है।

डेंगू मुक्त जिला बनाने में सभी वार्ड पार्षदों एवं जनता सहयोग प्रदान करें एवं आम जनता भी डेंगू नियंत्रण में अपनी सहभागिता साफ-सफाई कर के रायगढ़ जिला स्वच्छ रखें। कार्यशाला में सभापति सलीम नियारिया, शहरी क्षेत्र नोडल अधिकारी डॉ. भानु पटेल, सी.पी.एम. डॉ राकेश वर्मा, डॉ. कल्याणी पटेल एपिडेमियोलाजिस्ट, जयंत ठेठवार एवं स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग स्टाफ के साथ वार्ड पार्षद उपस्थित थे।

सर्वे टीम घर-घर जाकर डेंगू के उपाय के बारे में दे रहे जानकारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी एवं नगर निगम आयुक्त रमेश जायसवाल के संयुक्त प्रयास से टीम गठित करके वार्ड नंबर 12 केवड़ाबाड़ी क्षेत्र में घर-घर जाकर डेंगू सर्वे किया गया और लोगों को डेंगू से बचने के उपाए बताए गए। साथ ही अपने घरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा, ताकि मच्छर न पनप पाए। उन्होंने कुलर, ट्यूब टायर और घरों में रखे बर्तनों से पुराने पानी को साफ करने की भी सलाह दी। सर्वे टीम में स्वास्थ्य विभाग के शहरी कार्यक्रम प्रबंधक डॉ.राकेश वर्मा, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नगर निगम के जी.ईश्वर राव, पार्षद जयंत ठेठवार उपस्थित थे।

गिरवी में रखे कार को चोरी कर ले गया कार मालिक, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम धनागर थाना कोतरारोड़ निवासी कुशल प्रसाद पटेल आत्मज स्व0 भुनेश्वर पटेल का परिचय उसके दोस्त के जरिये अंकित कुमार केसरी पिता सुरेश प्रसाद केसरी से हुआ था। अंकित केसरी अपनी कार आई-20, सीजी-04 एलटी 1712 को रकम की आवश्यकता है कहकर गिरवी रखने की बात किया और 14/09/2017 को एक मुश्त 2,00,000/- रूपये (दो लाख रूपये) नगद प्राप्त कर स्टाप पेपर में 06 माह में पूरा रूपये अदा करने का लिखा पढ़ी किया। उक्त कार मेगमा फाईनेंस से अंकित केसरी द्वारा फाईनेंश से लिया गया था। दिनांक 25/07/2018 को मेगमा फाईनेंस के कर्मचारी कुशल पटेल के पास गाड़ी लेने आये उन्होने बताया कि पिछले 10 माह से कार का किस्त अदा नहीं किया जा रहा है। तब कुशल पटेल, अंकित के मोबाईल पर फोन किया तो उसका मोबाईल बंद था, जिस पर कुशल पटेल स्वयं कार का किस्त अदा कर रहे थे। दिनांक 22/06/2019 को सुबह अंकित केसरी ने कुशल पटेल को कॉल कर बोला कि होटल श्री तारा में रूका हूं , मैं गाड़ी गिरवी तथा गाड़ी का किश्त जो अदा किये हो समस्त भुगतान एक साथ कर दूंगा बोला। तब कुशल पटेल अपने साथी मनीष शर्मा, विरेन्द्र पटेल एवं डोलनारायण के साथ मिलने गया। जहां भी अंकित बोला कि कुल 6 लाख रूपये आपको देने है, आपके खाता में एक साथ इतना रूपये नहीं जायेगा, इसलिए एक-दो और खाता नम्बर दे दो। उसकी बात सुनकर कुशल पटेल, मनीष शर्मा और विरेन्द्र पटेल ने अपना खाता नम्बर अंकित को दिये तो अंकित सुबह तक रूपये ट्रांसफर कर दूंगा बोला और गाडी के बारे में पूछताछ किया। उसी रात्रि अंकित अपने साथियों के साथ कुशल पटेल के घर सामने खड़ी आई-20, सीजी-04 एलटी 1712 कार को चोरी कर ले गया और रूपये भी ट्रांसफर नहीं किया है। पीड़ित कुशल पटेल द्वारा थाना कोतरारोड़ में शिकायत करने पर कुशल पटेल के विरूद्ध अप.क्र. 137/19 धारा 379, 420 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

मोटर सायकल चोरी के फरार आरोपी को मुम्बई से पकड़कर लायी, सारंगढ़ पुलिस

» आरोपी नाबालिग बालिका को भगा ले जाने के मामले में जा चुका है जेल

» आरोपी से चोरी की गई बाईक व नगदी बरामद

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ वार्ड नं. 15 रेंजरपारा में रहने वाला विकास बंजारे उम्र 22 वर्ष के घर दिनांक 30.03.19 के शाम जयप्रकाश प्रधान पिता सुफल प्रधान उम्र 20 वर्ष निवासी चांदमारी रायगढ़ आया था। जयप्रकाश प्रधान उसी दिन नाबालिग बालिका को भगा ले जाने के मामले में जेल से छूटा था और घर न जाकर अपने परिचित विकास बंजारे के घर गया। जान पहचान होने के नाते विकास ने जयप्रकाश प्रधान को रात में खाना खिलाया और सोने के लिये आश्रय दिया। रात्रि करीब 02:00 बजे जब विकास उठा तो देखा जयप्रकाश घर पर नहीं ज्ञा और घर से मोटर सायकल सुपर स्पेलेण्डर सीजी 13एएफ 4959 एवं दो नग मोबाईल उमआई-6 एवं माइक्रोमैक्स भी गायब था जिसे जयप्रकाश दिनांक 31.04.19 के 02:00 बजे के पूर्व चोरी कर ले गया था। चोरी के रिपोर्ट पर थाना सारंगढ़ में जयप्रकाश प्रधान के विरूद्ध अप.क्र. 209/19 धारा 379 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दरम्यान आरोपी जयप्रकाश प्रधान का मुम्बई (महाराष्ट्र) में छिपे होने की जानकारी मिली। जिस पर थाना प्रभारी सारंगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक से दिगर राज्य जाने की अनुमति प्राप्त कर पुलिस टीम को मुम्बई भेजे। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.06.19 को आरोपी जयप्रकाश को हिरासत में लेकर दादर (मुम्बई) न्यायालय में पेश कर ट्रांजिस्ट रिमाण्ड पर रायगढ़ लाया गया है। आरोपी की निशादेही पर चोरी गई की मोटर सायकल व 1,000 रूपये जप्त किया गया है।

मामले में आरोपी पतासाजी व मशरूका की बरामदगी में थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक ए.के. खान, प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर पंडा, अर्जुन पटेल एवं आरक्षक पुरूषोत्तम राठौर की सराहनीय भूमिका रही है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास,
रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480